...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
...01/16	53 RTA	भीलवाड़ानीमा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कोशल्याबाई	बनाम	कालीबाई

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
29/8/16	वकील वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट ... दर्ज रजिस्टर ... प्रतिवादीगण को तलब कर ... दिनांक 28/9/16 को पेश हो।	
28/9/16	अन्य कार्य में व्यस्त। ... व्यस्त होने के कारण ... पूर्ववत रिथति मे दिनांक 9-11-16 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
9/11/16	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण ... पूर्ववत रिथति मे दिनांक 4-1-17 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	... 12 ...
4/1/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति मे दिनांक 15-2-17 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
15/2/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति मे दिनांक 19/4/17 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
19/4/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति मे दिनांक 31/5/17 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
5/17	वकील ... पत्रावली राजस्व ... अदालत ... कोर्ट मुकाम भी.नीमा ... दिनांक 12/5/17 को पेश हो	रामनिवास, कालीबाई
12/5/17	पत्रावली पेश हुई, वादी-प्रतिवादी उप. नहीं. प्रकरण का निर्णय ... द्वारा कैम्प भी. नीमा पर पूरी ... के बाद भी निर्णय नहीं हो सका अतः प्रकरण ... 31/5/17 को पेश हो।	...
31/5/17	वकील ... वादी उप. प्रतिवादी सं. 7 ता 11 की ... चल रही है। अतः ... पेश करें, ... दिनांक 26/7/17 को पेश हो।	... 31 ...
26/7/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति मे दिनांक 30-8-17 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी	...
30/8/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति मे दिनांक 11-10-17 को पेश हो।	7 से 17 ...

राजकीय लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 अति-आवश्यक

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	
13/6/23	पत्रावली पुन: पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान के आदेश / निर्णय दिनांक 23/3/22 द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई है। डिक्री पारित करते समय माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अंकित करते समय चूक / सहवन से प्रतिवादिनी क्रम 1 कालीबाई पत्नि रामनिवास का हिस्सा 2/7 के स्थान पर 6/21 दर्ज कर दिया गया है। इसी तरह प्रतिवादी क्रम 9, 10, 11 द्रोपती सावित्री, व बसंती का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 दर्ज कर दिया गया। तथा प्रतिवादी क्रम 8 रामनिवास पुत्र गंगाविशन का हि० 13/28 के स्थान पर 8/25 दर्ज कर दिया गया है जो चूक सहवन से हुई गणितीय लिपिकीय त्रुटि है जिसको न्यायहित में संशोधित किया जाना आवश्यक है। अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 23/3/22 में अंकित हिस्सा रामनिवास पुत्र गंगाविशन हि० 8/25 के स्थान पर 13/28 एवं द्रोपती, सावित्री व बंसती का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 एवं कालीबाई का हि० 1/6 के स्थान पर 2/7 दर्ज कर संशोधित डिक्री जारी करने की कृपा करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 152 CPC स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र में दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा तहसीलदार छबड़ा से पुन: विभाजन प्रस्ताव लिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/6/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)